




15.7.19 का जवाब पेश हुआ जो खलनाई  
 वदस की बात रिपोर्ट माफिया प्रपत्र पर  
 पक्षकारान वकील का मुकदमा, कामी  
 काईका पत्रावली दिनांक 17.9.19 का  
 पेश की   
 2-9-19

17.9.19

पत्रावली पेश हुआ पक्षकारान वकील उपस्थित हैं  
 पक्षकारान वकील की वदस पर गौर डिपार्लो वकील  
 प्रार्थी प्रतिवादी ने दोराने वदस माफिया प्रपत्र  
 का समर्थन करते हुए कथन डिपार्लो दिनकरी  
 कुरेजात राजस्व मण्डल के डिपार्लो 18 से 21 के  
 तहत मधीं बनाये गये न ही प्रार्थी को रोजपर  
 अनुपातिक रूपसे जमान की गयी है, कुरेजात  
 दोनों पक्षों की मौजूदगी में मधीं बनाये गये हैं  
 जबकि कुरेजात रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी  
 में बनाये जाकर भिजवाये जागे है ताकि रिपोर्ट  
 गये है। तकासमा केवल प्रति संख्या गुका  
 बनाया जाकर भिजवाया गया है जबकि  
 तकासमा सभी सदस्योतदार का बनाया जाकर  
 भिजवाया जाना चाहिये था दिनांक 5.6.18  
 को कुरेजात भिजवायी गयी है उनी अनुसार पुनः  
 बनाई जाकर भेजी गयी है। अतः उक्त कुरेजात  
 रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः कुरेजात रिपोर्ट  
 भिजवायी जावे। वकीलवादी न जवाब माफिया

  
 लखण्ड अधिकारी  
 चक्रवर्ती

प्र.पत्र का समर्थन करते हुए कथन दिया  
 कि कुरेजात रिपोर्ट राजस्वमण्डल के निपातुमार  
 तहसीलदार द्वारा बनाई जाकर मेपिंगीदि  
 जो सही है। प्रार्थी प्रविवाही द्वारा केवल दावे  
 को देखना करने की श्रियत से आपाविलगाई  
 गयी है जो आपाविल प्र.पत्र खारिज करमाया  
 जाकर मुतबिब कुरेजात रिपोर्ट राजावाही  
 मन्तिम डिप्टी डिप्टी जावे। पक्षकारागवकील  
 की बहस पूर गोर डिप्टी कुरेजात रिपोर्ट  
 एवं मापति प्र.पत्र, जवाव मापति प्र.पत्र  
 एवं पत्रावली का परीक्षण डिप्टी गणा गो  
 दावा वाही द्वारा तद्वसने का दिनांक  
 16.11.17 को पेश डिप्टी जाने पर दिनांक  
 3.4.18 को प्राथमिक डिप्टी डिप्टी जाकर  
 तहसीलदार को दोनों पक्षों की मौजूदगी में  
 कुरेजात रिपोर्ट बनाई जाकर डिप्टी गणा  
 हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार का पत्र  
 ने मादेशकी पालना में दिनांक 4.5.18  
 कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुयी मन्त कुरेजात  
 रिपोर्ट पर दिनांक 9.5.18 को मापति पेश  
 होने पर मापति प्र.पत्र स्वीकार डिप्टी जाकर  
 पुनः कुरेजात हेतु भेजे जाने हेतु तहसीलदार  
 को लिखा गणा गो तहसीलदार द्वारा पुनः  
 दिनांक 5.6.18 को कुरेजात डिप्टी गणा  
 डिप्टी पुनः दिनांक 4.9.18 को कुरेजात मापति  
 वाही बीपीराग के द्वारा 24.9.18 को पेश  
 होने पर दि. 20.5.19 को मापति स्वीकार  
 कर पुनः कुरेजात रिपोर्ट भेजे हेतु तहसीलदार  
 को लिखा गणा जाने पर तहसीलदार द्वारा



उपखण्ड अधिकारी  
 राजस्वमण्डल चाकसू (जयपुर)

उप अधिकारी  
 चाकसू (जयपुर)

आदेश की पालना में दिनांक 17-6-19 को  
 कुरेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जिपर दिनांक  
 15-7-19 को सं. 9 कविता के द्वारा आपसे  
 पेश की गयी जबकि कुरेजात रिपोर्ट एवं  
 पत्रावली के भवलोक्षण से कुरेजात रिपोर्ट  
 राप्रस्थ मॉडल के विपरीत गुरार बनावे जाकर  
 भिजवाये जाये हैं व प्रवि. सं. 9 को नोजमात  
 सद.सू के फुट पर सी गयी है वो भी गुणाबि  
 कप से सही दिमा जाना प्रतीत होता है।  
 आपसे प्राप्त प्रपत्र केवल वाद को देरी ना  
 करने की जिमत से पेश की गयी जबकि  
 कुरेजात रिपोर्ट तीन बार मंगवाये जा चुके  
 हैं जब कुरेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना  
 उचित प्रतीत नहीं समझते हैं, ऐसी स्थिति  
 में आपसे प्राप्त सारहीन एवं वाद को  
 देरी ना करने की जिमत से लगाया जाना  
 प्रतीत होने से खारिज किया जाना उचित  
 समझते हैं। शवावाची गुणाबि कुरेजात  
 रिपोर्ट के अनुसार डीडी किया जाना  
 उचित समझते हैं। भर. आपसे प्राप्त  
 खारिज किया जाता है व शवावाची  
 गुणाबि कुरेजात रिपोर्ट डीडी किया  
 जाकर वाकें ग्रा. रसूलपुरा रक्षीव  
 बाबापुर के वाद गृह सं. 21 रकबा  
 0.06 है, 22 रकबा 0.23 है, 23 रकबा  
 0.44 है, 24 रकबा 0.37 है, 25 रकबा  
 0.19 है दिनांक 5 रकबा 1.29 है गुणाबि  
 कविता आपसे पत्रावली व शवावाची लाल फाई फाइल

*(Handwritten signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड बाबापुर (जयपुर)

जिवाजी 5 इमान्दरिया जनता जयपुर  
जयपुर के खाते में रहेगी बल के

14 रफ्तार 0.42 ई 15 रफ्तार 0.28 ई  
16 रफ्तार 0.30 ई 17 रफ्तार 0.29 ई  
18 रफ्तार 0.43 ई 19 रफ्तार 0.33 ई  
20 रफ्तार 0.34 ई, 25/1 रफ्तार 0.26 ई  
26 रफ्तार 0.20 ई, 27 रफ्तार 0.21 ई

28 रफ्तार 0.73 ई छिटा ॥ रफ्तार  
3-85 ई भूषि छोड़ राग पुत्र श्रीराग  
दि ॥ 9 राहिन को मापे रीय बंडुकि  
शाखा चापू पमूलाल पुत्राभरण  
दि ॥ 12 राहिन 1308 शाखा चापू  
कापूराम, रामपूल पि जगनाथ  
दि ॥ 6 राहिन 587 शाखा कोरा  
छोड़ राग पुत्र श्रीराग दि 2/9  
श्रीपीराग, गणेश नारायण छिटा  
जगनाथ दि ॥ 6 पमूलाल पुत्राभरण  
दि ॥ 36, बंडी नारायण रामकल्याण  
पि रामकरण दि 2/9 दि. व. भारि  
जाट सा-देह के खाते में रहेगी व  
इसी अनुसार राजपूत ठिकाने में काल  
दराग डिजा फर्के जिर्णम अनुसार  
डिडी जारी हो जिर्णम व डिडी के  
जक्के कुरेफात जू-जू रहेगे जिर्णम  
कीपालना हेतु तदनीलवार को  
लिखा जावे पत्रावली बाध तदनील  
राखिल नफर रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

चाकसू  
9. कवि  
जनता  
10. र  
जयपुर

मान्यवर,

श्रीपौजी